महत्वपूर्ण निर्देश

नोट:

1. **उच्च शिक्षा द्वारा दिए गए एप्लीकेशन आई डी नंबर को प्रविष्ट करना अनिवार्य है|**

2. **यदि नियमित विद्यार्थी है तो प्राचार्य से अग्रेषित करना अनिवार्य है| यह अग्रेषण प्रवेश की अंतिम तिथि के** 30 **दिन के अंदर वि. वि. में आवेदन जमा हो जाना चाहिए|**

3. **सभी महाविद्यालय को नियमावली उपलब्ध कराई गई है| अत: महाविद्यालय अग्रेषण से पूर्व यह अच्छी तरह परिक्षण कर ले कि प्रथम द्रष्टा छात्र पात्र है|**

4. **सलंग सूचि, फोटो प्रतिया स्व-हस्ताक्षरित होना आवश्यक है|**

5. **ऑनलाइन सीट अलोटमेंट पत्र / सी.एल.सी. पत्र संलग्न करना अनिवार्य है|**

टीप:

1. **जिन विद्यार्थी ने हायर सेकेंडरी / इंटरमीडिएट परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल म. प्र. भोपाल या केंद्रीय शिक्षा मंडल** (CBSE) **से उत्तीर्ण की हो तो पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अवश्यकता नहीं है|**

2. **ऐसे विद्यार्थीयों के लिए जिन्होंने म.प्र. के किसी विश्वविद्यालय में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की कोई परीक्षा आंशिक रूप से उत्तीर्ण की हो तो पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है|**

पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदक को निम्नलिखित सूचना का पालन करना अनिवार्य है:-

1. **आवेदन पत्र के साथ लगाने वाली अंक सूचि / प्रमाण पत्र व अन्य विवरण की फोटो प्रति जो स्वयं प्रमाणित की हो के साथ** (ORIGINAL) **मूल पत्रक जाँच हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है| बिना मूल प्रतियों के आवेदन पर विचार करना संभव नहीं होगा|**

2. **सामान्यत: पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन करने के पांच दिनों में प्राप्त होगा| शेष कारणों में जिसमे संकायाध्यक्ष / अध्यक्ष अध्ययन परिषद् की राय लेना जरूरी है, आवेदन के** 15 **दिनों के बाद ही पात्रता पत्र प्राप्त होगा|**

3. **सामान्यत: पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थी / छात्र को स्वयं उपस्थित होना होगा अन्य किसी भी व्यक्ति को विशेष परिस्थिति को छोड़ कर पात्रता पत्र नहीं दिया जायेगा | साथ ही छात्र का अनुज्ञा प्रमाण पत्र या जमा की गई राशि की छात्र प्रति जो छात्र के पास है, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा|**

4. **अधूरे/ अपूर्ण आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं होगी| एवं निरस्त किये गए आवेदन पत्रों की शुल्क वापस नहीं की जायेगी|**